



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-10/2020-588

दिनांक : 3/8/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/ लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/ गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/ रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण कार्य का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 44.000 (चौवालीस लाख रुपये)** मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2019-17/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0 बजट-21/2019-13/आ0 व0प0 दिनांक 09.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल **रु0 44.000 (चौवालीस लाख रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	13.217
2	आपूर्ति एवं सामग्री	30.783
कुल योग :-		44.000

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।
3. प्रमंडलवार उप-आवंटित की जा रही राशि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी **अनुलग्नक-1** पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देय प्रोत्साहन राशि के लिए विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर **अनुलग्नक-2(क) से 2(ख)** पर संलग्न है एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. मुख्यमंत्री जन वन योजना के MIS application में व्यापक सुधार कराया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभुक से संबंधित वांछित सूचनाओं को upload किये जाने एवं प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उसे approve करने के उपरांत auto generated भुगतान पर्ची बनता है, उन्हीं भुगतान पर्ची के आधार पर भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में किये जाए एवं मुख्यमंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया जाए।
5. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या-04/यो0बजट-79/2015/2005 दिनांक-14.05.2018 की कंडिका-6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
11. नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।



12. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
13. ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास निर्गत करेंगे। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट करायेंगे।
14. कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि। ऐसी योजना ग्रामीण विकास विभाग MGNREGA जोहार/JSLPS के तहत तथा कृषि, पशुपालन, मतस्य, सहकारिता विभाग NHM (हॉर्टीकल्चर के तहत), अनु0जन0अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी कार्यान्वित करता है। दोहरीकरण से बचने हेतु सभी Data Base Exchange किया जाय। स्थल निरीक्षण वन विभागीय पदाधिकारी/कर्मि करें तथा कोडिनेट के साथ योजना प्रारम्भ के पूर्ण तथा विभिन्न चरणों का ब्यौरा record में संधारित हो।
15. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा। यह कंडिका-14 के क्रम में काफी महत्वपूर्ण है।
16. विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टॉकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।
17. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-
- (क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
- (ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
- (ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
18. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।



(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank/डाकघर खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

19. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

20. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) कंडिका-18 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके

निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

23. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

24. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

26. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-46-सह पठित ज्ञापांक-2393, दिनांक-14.08.2020 द्वारा निर्गत निर्देश प्रभावी होगा।

27. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

28. (I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।



(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) पूर्व में कई मामले cash transaction/गबन के प्रकाश में आये हैं, उक्त से नियंत्रण होगा।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-10/2020-588 दिनांक-3/8/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/संथाल परगना, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/मेदिनीनगर, पलामू/बोकारो/हजारीबाग/दुमका/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/बोकारो/गिरिडीह/चतरा/दुमका/जमशेदपुर एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-10/2020-588 दिनांक-3/8/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/सिमडेगा/चाईबासा/जमशेदपुर/लातेहार/गढ़वा/हजारीबाग/कोडरमा/देवघर/दुमका/खूँटी/लोहरदगा/पलामू/सरायकेला/गोड्डा/रामगढ़/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (अन्य व्यय) अन्तर्गत नीजि भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रेंच घेरान के साथ) का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (पौधों की संख्या में)			वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		फलदार प्रजाति	काष्ठ प्रजाति	कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	iii	xiii	xiii	xii	xiii	xiv	xv
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	0	678	678	0.078	0.004	0.082
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	4295	1477	5772	0.297	0.603	0.900
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	218	1374	1592	0.056	0.136	0.192
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	0	27094	27094	0.846	2.200	3.046
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1195	0	1195	0.070	0.134	0.204
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	9323	13848	23171	0.809	2.169	2.978
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	2618	2627	5245	0.235	0.507	0.742
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	4760	4220	8980	0.411	0.877	1.288
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	6699	2824	9523	0.480	0.982	1.462
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	60210	126801	187011	7.504	17.035	24.539
11	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	911	3328	4239	0.158	0.372	0.530
12	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	2912	2821	5733	0.259	0.556	0.815
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	2923	19132	22055	0.638	1.877	2.515
14	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	5300	17913	23213	0.873	2.045	2.918
15	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	179	131	310	0.015	0.031	0.046
16	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	45	600	645	0.022	0.054	0.076
17	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	808	11271	12079	0.402	1.003	1.405
18	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	0	2450	2450	0.064	0.198	0.262
कुल योग :-		102396	238589	340985	13.217	30.783	44.000

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 छत्ताखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर


योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

क्रम	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1245.32	0.00	1245.32	5.84	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1245.32	2400.00	3645.32	17.09	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

 डी०ए०पी०, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ :

445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. एवं मेड के

प्रजातियाँ-शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

किनारे 2 मी० X 2 मी०

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ख	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पौषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1867.98	0.00	1867.98	3.15	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		6.00	1867.98	4800.45	6668.43	11.24	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-10/2020/588

दिनांक - 03-Aug-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	38064	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	7,800.00 रुपये सात हजार आठ सौ
2	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	38066	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	29,700.00 रुपये उन्तीस हजार सात सौ
3	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	38067	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - मजदूरी	5,600.00 रुपये पाँच हजार छः सौ

योग: रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
क्रमिक योग:

43,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

DDI, PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38068	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV ADITYAPUR JSR: 03 - मजदूरी	84,600.00 रुपये चौरासी हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38069	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	7,000.00 रुपये सात हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38070	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	80,900.00 रुपये अस्सी हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:				172,500.00
क्रमिक योग:	रुपये दो लाख पंद्रह हजार छः सौ			215,600.00
			(NAND KISHORE SINGH) RANCH	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38072	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	23,500.00 रुपये तेइस हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38073	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 03 - मजदूरी	41,100.00 रुपये इकतालीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38074	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीन लाख अठाइस हजार दो सौ			112,600.00
क्रमिक योग:				328,200.00
			(NAND KISHORE SINGH) DEPT. SECY DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38075	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.Q.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	750,400.00 रुपये सात लाख पचास हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38076	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	15,800.00 रुपये पंद्रह हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38077	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	25,900.00 रुपये पच्चीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये ग्यारह लाख बीस हजार तीन सौ
क्रमिक योग:

792,100.00

1,120,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

8001, POCE DEV, JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38078	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	63,800.00 रुपये तीरसठ हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38079	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	87,300.00 रुपये सित्यासी हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38080	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	1,500.00 रुपये एक हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बारह लाख बहत्तर हजार नौ सौ

152,600.00

क्रमिक योग:

1,272,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

BCC DEVI IHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
16	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38081	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	2,200.00 रुपये दो हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	
17	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38082	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	40,200.00 रुपये चालीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	
18	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	38083	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	6,400.00 रुपये छः हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	

योग:

रुपये तेरह लाख इक्कीस हजार सात सौ

48,800.00

क्रमिक योग:

1,321,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	38084	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SQICAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	400.00 रुपये चार सौ
20	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	38085	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	60,300.00 रुपये साठ हजार तीन सौ
21	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	38086	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	13,600.00 रुपये तेरह हजार छः सौ

योग:

रुपये तेरह लाख छयानवे हजार

74,300.00

क्रमिक योग:

1,396,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

DDI PCCF JEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38087	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	220,000.00 रुपये दो लाख बीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38088	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	13,400.00 रुपये तेरह हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38089	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	216,900.00 रुपये दो लाख सोलह हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अठारह लाख छयालीस हजार तीन सौ

450,300.00

क्रमिक योग:

1,846,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38090	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	50,700.00 रुपये पचास हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38091	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	87,700.00 रुपये सित्यासी हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38092	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	98,200.00 रुपये अठानवे हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बीस लाख बयासी हजार नौ सौ

236,600.00

क्रमिक योग:

2,082,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38093	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,703,500.00 रुपये सत्रह लाख तीन हजार पचास सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38099	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	37,200.00 रुपये सेतीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38100	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	55,600.00 रुपये पचपन हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अडसीस लाख उन्नासी हजार दो सौ

1,796,300.00

क्रमिक योग:

3,879,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

SRI, POCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38101	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	187,700.00 रुपये एक लाख सित्तासी हजार मात्र सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38103	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	204,500.00 रुपये दो लाख चार हजार पॉंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38104	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	3,100.00 रुपये तीन हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बयालीस लाख चौहत्तर हजार पॉंच सौ

395,300.00

क्रमिक योग:

4,274,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38105	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	5,400.00 रुपये पाँच हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
35	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38107	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	100,300.00 रुपये एक लाख तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
36	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	38108	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	19,800.00 रुपये उन्नीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

योग:

रुपये चवालीस लाख

125,500.00

क्रमिक योग:

4,400,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

PCCF DEV. JHARKHAND